(ख) यदि हां, तो इसका ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में प्रमुख बैंकरों और ट्रेड यूनियनों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) यद्यपि सरकारी क्षेत्र के बैंकों , गैर- सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; तथापि यह प्रतीत होता है कि हाल ही में इस संबंध में बैंकों और ट्रेड यूनियनों से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

DA Instalment for Central Government employees

907. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether another instalment of Dearness Allowance has become due for payment to the Central Government employees from July, 1996; and

(b) if so, by when the D.A. instalment is likely to be released?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) In terms of the existing formula relating to the grant of dearness allowance to Central Government employees, which is based on the recommendations of the 4th Central Pay Commission, additional instalments of dearness allowance become due from Ist January and Ist July every year on the basis of percentage increase in the 12 monthly average of All India Consumer Price Index for Industrial Workers (General) (1960-100) over the base index of 608. The instalment due from Ist July normally becomes payable with the salary for the month of September.

Uniform Civil Code in Goa

908. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the Times of India of 27th June, 1996, under the capition "Uniform Civil Code in Goa protects Women's Rights";

(b) if so, whether any study has been made in the matter; and

(c) whether Government would adopt the law on an All India basis?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPTT. OF LEGAL AFFAIRS LEGISLATIVE DEPTT. AND DEPTT. OF JUSTICE (SHRI, RAMAKANT D. KHALAP): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

Loss suffered by Air India

909. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Air India suffered a loss of Rs. 250 crores in the last financial year and further loss of Rs. 120 crores in the first two months of the current year;

(b) whether this is due to industrial unrest, ageing aircrafts, excessive pay hikes, internal squabbles and other reasons of similar nature which still persist;

(c) whether the Parliamentary Committee was duly and correctly informed of this adverse trend;

(d) if so, whether accountability for this loss has been fixed;

(e) the remedial measures being taken in this regard; and

(f) whether Air India plans to buy new aircrafts; if so, in what manner they propose to finance the purchase?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) and (b) Air India has incurred a loss of Rs. 244 crores during 1995-96 and Rs. 93.80 crores during first two months of the current financial year, due to increase in expenditure on account of interest and depreciation on new aircraft, reduction in yield due to increased competition, landing, handling and navigational charges, agitation by engineers, etc.

(c) to (e) The Consultative Committee of Parliament attached to the Ministry has been kept informed of the financial performance of the airline and the reasons for the adverse trend.

Air India is taking steps to improve the image of its product, on-time performance and to augment its capacity.

(f) Air India has signed an agreement with the Boeing Airplane company in January, 1995 for acquisition of two B-747-400 aircraft to be delivered in October/November 1996. These aircraft are being financed through external commercial borrowings.

राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनुपयोगी संपत्तियों में वृद्धि

910. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विगत वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनुपयोगी संपत्तियों में निरंतर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो विगत तीन वर्षों के दौरान अनुपयोगी संपत्तियों में से ऋण के रूप में दी गई धनराशि दिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत थी;

(ग) ऐसे बैंक कौन-कौन से हैं जिनकी अनुपयोगी संपत्तियां ऊपर उल्लिखित वर्षों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम थीं; और

(घ) क्या सरकार ने अनुपयोगी संपत्तियों के निर्धारण के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; यदि हां, तो वे दिशा-निर्देश क्या हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का अनिष्पादित अग्रिम जो मार्च 1994 के अन्त की स्थिति के अनुसार कुल 25265.00 करोड़ रु॰ था और कुल अग्रिमों का 25.15 प्रतिशत था, मार्च 1995 के अन्त की स्थिति के अनुसार घटकर 25114.50 करोड़ रह गया जो कुल अग्रिमों का 19.98 प्रतिशत था। मार्च, 96 के अन्त की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के अनिष्पादित अग्रिमों की अंतिम स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हुई है। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन बैंकों का अनिष्पादित अग्रिम अधिकतम और न्यूनतम था, उनके नाम नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	अधिकतम अनिष्पादित अग्रिम	न्यूनतम अनिष्पादित अग्रिम
1993-94	इंडियन ओवरसीज बैंक (कुल अग्रिम का 37.75 प्रतिशत)	ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स (कुल अग्रिम का 8 प्रतिशत)
1994-95	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (कुल अग्रिम का 36.9 प्रतिशत)	ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स (कुल अग्रिम का 6.14 प्रतिशत)

(घ) आर बी आई ने सूचित किया है कि वर्ष 1992 में आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी अपेक्षाओं के बारे में इसके द्वारा लागू किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों से ऋण जोखिम के प्रति बैंकों में बेहतर जागरूकता पैदा हुई है और बैंकों ने अपने अनिष्पादित अग्रिमों को न्यूनतम रखने के प्रयास किए हैं।